"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2011—आषाढ़ 22, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक 4742/डी-1750/21-ब/2011.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ.ग. उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं के अनुसूची में, कालम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् —

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा स्थान (2)	सिविल जिले का नाम (3)
1.	श्री प्रभात कुमार शास्त्री, सत्र न्यायाधीश, जशपुर	जशपुर
2.	श्री रजनीश श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	बस्तर स्थान जगदलपुर
3.	श्रीमती अनुराधा खरे, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
4.	श्री शिवमंगल पांडे, सत्र न्यायाधीश, रायगढ़	रायगढ़
5.	श्रीमती विमला सिंह कपूर, सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुन्ठपुर)	कोरिया (बैकुन्ठपुर)

Raipur, the 6th July 2011

NOTIFICATION

F. No. 4742/D-1750/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to amend this Department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2), namely :—

AMENDMENT

In the schedule of the said notifications, officers mentioned in column (2) shall be posted Special Judge, at the places mentioned in column (3) of the said schedule, namely —

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of Civil District (3)
1.	Shri Prabhat Kumar Shastri, Sessions Judge, Jashpur	Jashpur
2.	Shri Rajnish Shrivastava, Ist Additional Sessions Judge, Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
3.	Smt. Anuradha Khare, Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)
4.	Shri Shiv Mangal Pandey, Sessions Judge, Raigarh	Raigarh
5.	Smt. Vimla Singh Kapoor, Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur)	Koriya (Baikunthpur)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्त राय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.